[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 38/ 2019 - सीमा शुल्क (एडीडी)
नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2019

सा.का.नि..... (अ). जहां कि ब्राजील, चीन और जर्मनी (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "नॉन कोबाल्ट ग्रेड के हाई स्पीड स्टील" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7228 10 10 या 7228 10 90 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 6/23/2018-डीजीएडी, दिनांक 1 अगस्त, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि –

(क) विषयगत उत्पाद भारत को विषयगत देशों से सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किया गया था, जिसके कारण यहां इस उत्पाद की भरमार हो गई ।
(ख) विषयगत देशों से आयातित इस विषयगत उत्पाद के सस्ते होने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है ।
(ग) यह सारवान क्षति विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के सस्ते आयात के कारण हुई है ।

और विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक 'प्रतिपाटन शुल्क' लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में

विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (7) में उल्लिखित माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	उत्पादक	राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	7228 10 10 या 7228 10 90	"नॉन कोबाल्ट ग्रेड हाई स्पीड स्टील के बार्स और राड्स, जिनका व्यास 4मि.मी. से 163 मि.मी. तक हो और जिनमें तीन तत्व यथा मोलीब्डेनम, टंगस्टन और वेनाडियम शामिल हों जिनमें टंगस्टन और मोलीब्डेनम का संयोजन 4% - 11.5% के बीच हो और वेनाडियम अधिकतम 3.5% और कार्बन अवयव 0.7%- 1.3% के बीच तथा क्रोमियम 3.5% - 4.6% के बीच हो".	चीन	हेई स्पेशल स्टील कंपनी लिमिटेड	1902.34	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	-तदैव-	-तदैव-	चीन	जिआंगसू तिआंगोंग टूल्स कंपनी लिमिटेड	2275.64	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	उत्पादक	राशि	माप इकाई	मुद्रा
3	-तदैव-	-तदैव-	चीन	क्रम संख्या 1 और 2 से भिन्न कोई अन्य उत्पादक	3263.68	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4	-तदैव-	-तदैव-	ब्राजील	कोई भी	2147.22	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5	-तदैव-	-तदैव-	जर्मनी	कोई भी	2259.22	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

नोट: उपर्युक्त वस्तुओं से भिन्न शीट्स, प्लैट्स और क्वायल्स समेत अन्य वस्तुओं को उक्त प्रतिपाटन शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया है ।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

(फाइल संख्या 354/128/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार